Joint Inspection Report of the Committee Constituted by Hon'ble NGT(PB) vide order dated 05.01.2023 in Original Application No. 891/2022 in the matter of Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors.

A visit of Joint committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal order dated 05.01.2023 in the matter of OA No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors. was held on 09.02.2023 to know the factual status of site & construction mentioned in the petition filed by the applicant.

1. Hon'ble NGT, in Original Application No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors. has original application has been registered under at National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition of one Manya Sharma, a 2nd Year student of National Law University, Odisha with regard to cutting of hills in Udaipur and destruction thereof for raising huge construction. Photographs have also been appended to the complaint showing specifically cutting of hills starting on bottom side in entirety to a large extent and raising of permanent construction.

2. As per Hon'ble NGT order dated 891/2022 ***"Hills in Udaipur are part of Aravalli hills and cutting of said hills in entirety to raise permanent structure is likely to cause ecological and geological disturbance besides the fact that cutting of hills amounts to removal of stones/rocks/boulders/soil and therefore is a mining activity and unless environment impact assessment is carried out by authorities"***

3. Further in the order Hon'ble NGT constitute a joint Committee Comprising State PCB, CPCB and Regional Office,

Praveen Jain

MoEF & CC, Udaipur to visit the site, collect relevant information and submit a factual report which would also include regulation on preventing destruction/cutting of hills and action taken, if any, within two months

4. Joint Committee comprising below mentioned members visited the site mentioned in the writ on date 09/02/2023.
   i. Sh. Mahesh Dutt Purohit, JD, MoEF & CC, Jaipur
   ii. Sh. Praveen Kumar Jain, Scientist-B, CPCB, Bhopal.
   iii. Sh. Sharad Saksena, Regional Officer, RSPCB, Udaipur.

5. During visit following officials were also present:
   i. Sh. Mukesh Chandra Pujari, S.E, Udaipur Smart City Limited, Udaipur.
   ii. Sh. Dinesh Kumar Pancholi, XEN, Udaipur Smart City Limited, Udaipur.
   iii. Smt. Navnita Mathur, Ex. Sen. PHED City Division-I, Udaipur.
   iv. Sh. Lalit Gupta, CCM, Smart City, Udaipur.
   v. Sh. Manoj Kumar Dhawal, AEN, CSO III, Udaipur.

6. During visit it was found that this is a drinking water supply scheme under government of India Project Udaipur Smart City. During discussion it was decided to obtain the information from consenting department that whether this Hill is covered under Aravali Notification or not.
7. During discussions, officials of Udaipur Smart City limited and PHED, Udaipur informed that:-

   i. The construction mentioned in NGT OA No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors. is a new water treatment plant which is constructed on Khasra no. 415the land allotted to PHED Department by Urban Infrastructure Trust (UIT) vide letter dated 24.08.2015. This new water treatment plant is constructed near existing surface water reservoir.

Praveen Jain

ii. This project is sanctioned under Smart City Project, a Government of India Scheme for the supply of potable drinking water to the people of 17 wards of Udaipur walled city.

iii. This site was selected due to high altitude and nearness to the source of water i.e. Lake Pichola, which is an artificial fresh water lake, created in ancient time for the supply of water to Udaipur. Water is pumped from Pichola Lake to this Water Treatment Plant and after treatment, treated water is supplied to the 17 ward of walled city Udaipur by gravity to fulfil the domestic water requirement.

iv. Work was started in April- 2018, cost of the project is 21 Crore and capacity of filter plant is 23.47 MLD. During visit the plant was under operation and 100 % work had been completed.

8. During discussion, officials of Udaipur Smart City Limited and PHED, Udaipur presented following document related to land:-

i. UIT, Udaipur letter no. 3320 dated 24.08.2015 regarding allotment of land to Public Health and Engineering Department, City Sub Division-I, Udaipur near Gulab Bagh for construction of filter plant **(Annexure-1).**

ii. Copy of कब्जा सुपुर्दगि नामा दिनांक 01-12-2016 from UIT to PHED, allotted area 250 meter × 140 meter (Annexure-2).

iii. UIT, Udaipur letter no. 3313 dated 24.08.2015 regarding details of land allotted to PHED Department. **(Annexure-3)**. Total allotted area for the project is 35000 Sq. Meter and built up area is 15500 Sq. Meter.

iv. Site plan for over head tank in Khasra no. 415 revenue village Udaipur City **(Annexure-4).**

v. Satellite image and location of water treatment plant **(Annexure-5).**

vi. GPS tagged photographs taken during visit are enclosed at **annexure-6.**

Praveen Jain

9. Team raised query regarding applicability of Aravali notification, 1992 on the said site. As there was no representative of concerning department in the committee constituted by the Hon'ble NGT, therefore it was decided to obtain information from concerning departments regarding applicability of Aravali notification on said site/project such as Additional Surveyor General of Survey of India, Mining Department and Forest Department.

Even after discussion with the above it was not clear whether the construction has been done in accordance with the notification and rules in this regard, therefore a letter in this regard was sent to Survey of India with copy to Forest Department and the Mining Department **(Copy enclosed as annexure-7)** The Mining Engineer, Mining Department, Udaipur replied on date 13.03.2023 to the letter as under:

उक्त प्रकरण में अंकित हिल्स कटिंग का कार्य कार्यालय से सम्बन्धित ना होकर यू.आई.टी की परिधि में गिरता है] जो कि यू.आई.टी उदयपुर के अधीन आता है।

शासन के परिपत्र दिनांक 09.02.2012 व 05.07.2021 (प्रति संलग्न) से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है जो इस प्रकार है कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी] गैर वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदार खान विभाग की रहेगी] खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना तहसीलदार को देने हेतु क्षैत्र का हल्का पटवार जिम्मेदार होगा एवं यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यो हेतु रीको/यूआईटी/अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था (यूआईटी/रिको/अन्य संस्था) की होगी। **(Copy of letter enclosed at Annexure-8).**

However no reply has been received from Survey of India or forest department.

Recommendation: - It is requested that for thorough examination of the matter and such other matters which may come in future, an expert committee consisting of top officials of Survey of India, Forest Department and Mining Department may be constituted to give clear cut recommendation in the

present case as far as the Hon'ble NGT order dated 05.01.2023 is concerned and also set up norms, rules and guidelines to be followed by district administration and concerning departments PHED, local authorities i.e. UIT/Nagar Nigam in such subsequent matters.

(Sharad Saksena)	(Praveen Kumar Jain)	(Mahesh Dutt Purohit)
Regional Officer	Scientist-B, CPCB,	Joint Director/Scientist-D
RSPCB, Udaipur	Bhopal	MoEF&CC, Jaipur

Annexure - 1

12

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F-12( )Sales/Inst/Allot/2015/3320 दिनांक 24/08/2015

अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम, उदयपुर ।

विषय : गुलाब बाग के पास फिल्टर प्लांट निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्र कमांक अअअ/नगर–I/लेखा–I/15–16/59 दिनांक 09–04–15 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से गुलाब बाग के पास फिल्टर प्लांट निर्माण हेतु 35000 वर्गफीट भूमि आवंटन कराना चाहा है। भूमि आवंटन के संबंध में प्रकरण न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 23–06–15 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गुलाब बाग के पास उदयपुर शहर के खसरा नम्बर 415 रकबा 42.6000 हेक्टेयर आबादी भूमि में रिक्त पड़ी भूमि में से वर्तमान सरफेस वाटर रिजर्वायर के पास स्थित भूमि 250 x 140 = 35000 वर्गमीटर भूमि राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लेण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 15–बी के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर फिल्टर प्लांट निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय की पालना में राज्य सरकार को वांछित स्वीकृति हेतु न्यास पत्र कमांक 942 दिनांक 06–07–2015 को लिखा गया। जिस पर नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक प.2(34)नविवि/उदयपुर/2015 जयपुर दिनांक 12–08–15 द्वारा उक्त नियम अन्तर्गत गुलाब बाग के पास उदयपुर शहर के खसरा नम्बर 415 रकबा 42.6000 हेक्टेयर आबादी भूमि में रिक्त पड़ी भूमि में से वर्तमान सरफेस वाटर रिजर्वायर के पास स्थित भूमि 250 x 140 = 35000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः उक्त भूमि का कब्जा न्यास के सहायक अभियन्ता / कनिष्ट अभियन्ता / पटवारी न्यास से प्राप्त करें।

(रामनिवास मेहता)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1– सहायक अभियन्ता/कनिष्ट अभियंता/पटवारी, न्यास को भेजकर लेख है कि उपरोक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द कर रिपोर्ट पेश करें।

2– डोक्यूमेन्ट शाखा, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

नक्शा ट्रेस ग्राम - उदयपुर शहर तहसील - गिर्वा जिला - उदयपुर

पैमाना 1 सें.मी. = 40 मीटर

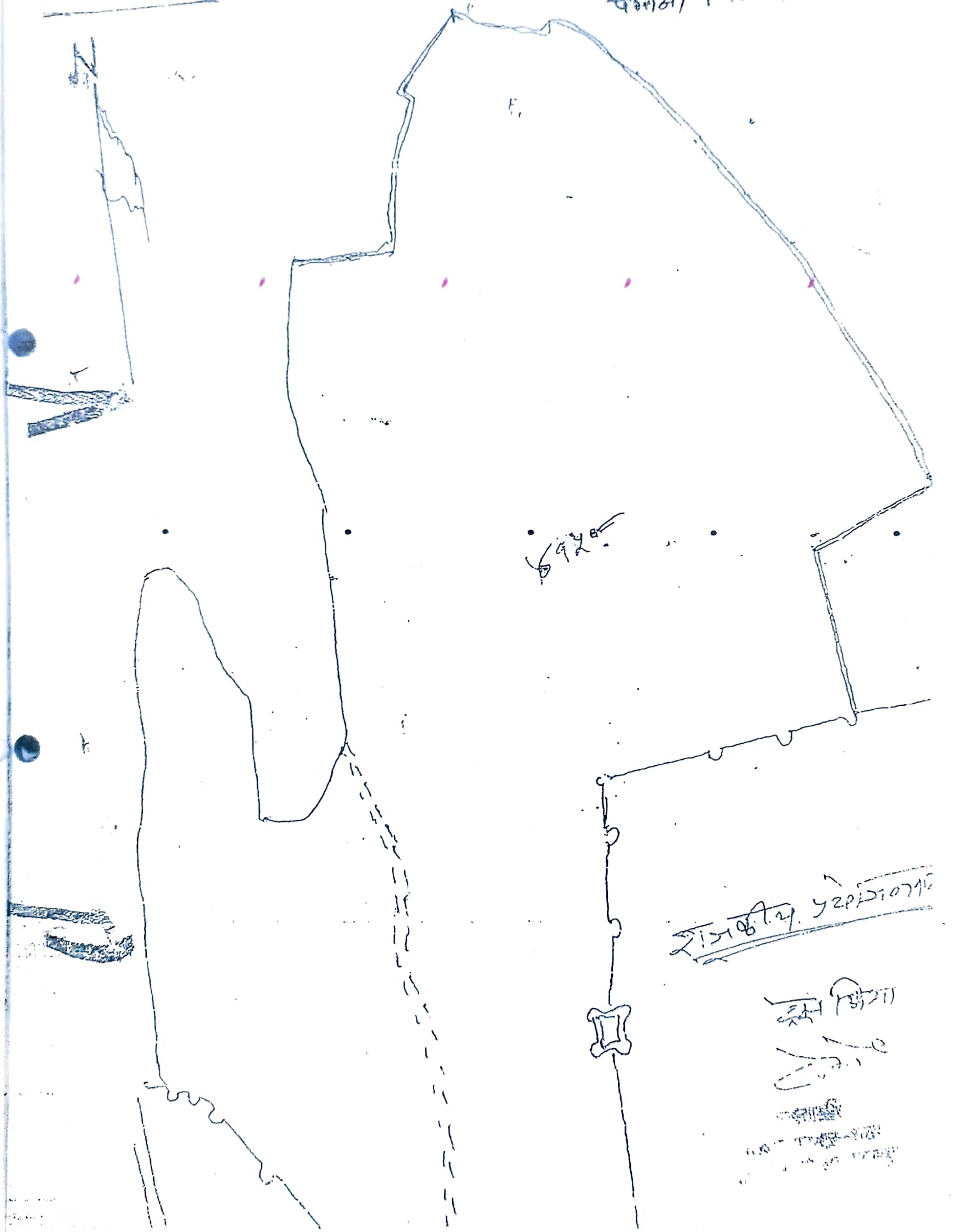

Annexure-02

14

कब्जा सुपर्दगी नामा

दिनांक 01.12.16

आज दिनांक 01.12.15 को न्यास द्वारा अपने पत्रांक F-12 ( ) Sales / INST/ ALLOT / 2015 / 3320-3322 दिनांक 24.8.15 में आवंटित गुलाब बाग के पास फिल्टर प्लान्ट हेतु आवंटित भूमि का कब्जा सुपर्दगी बाबत् मौके पर पहुँचा।

मौके पर जन स्वास्थ्य अभि. विभाग नगर उपखण्ड तृतीय के सहायक अभियन्ता श्री ए.के. शर्मा एवं श्री मुरलीधर माली फोरमैन-II, न्यास अमीन छोटेलाल मीणा, न्यास पटवारी दुली चन्द शर्मा के द्वारा मौके पर निर्मित High-zone Tank व Low zone tank जो कि मौके पर निर्मित हैं को आधार मानकर उपर वर्णित पत्रानुसार आवंटन के क्रम में 250M x 140M के नाप कि आकार निशानात लगाये गये। भूमि की surrounding में गवर्नमेन्ट प्रेस के पीछे से आने वाली कालोनी (कच्ची बस्ती) सड़क जहां पर पूर्व से ही PHED की लोहे की फाटक लगी है व पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से ही PHED की बाउन्ड्री बनी है को आधार मानकर नाप कर निशानात लगाये गये व न्यास की सामान्य बैठक 23.6.15 में लिये गये निर्णय; 24.8.15 की आवंटित पत्र, जारी साइट प्लान, मौके पर निर्मित High-zone Tank व Low zone tank, PHED की पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर बनी बाउण्ड्रीवाल को आधार मानकर नाप की गई 250M x 140M = 35000 व.मी. भूमि का कब्जा सुपर्द किया गया। जिसके खसरा नं 415 उदयपुर शहर है (3)

(हस्ताक्षर) AEN PHED, CSD III Udaipur	(हस्ताक्षर) Foreman II PHED CSD III Udaipur	(हस्ताक्षर) अमीन न्यास उदयपुर 1/12/2016	(हस्ताक्षर) प. न्यास 01.12.16

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

Annexure-3

AEN

क्रमांक :- F-12( )Sales/Inst/Allot/2015/3313

दिनांक :- 24/08/2015

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2015 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं हेतु राज्य सरकार के पत्र प.2(34)नविवि/उदयपुर/2015 जयपुर दिनांक 12-08-2015 के क्रम मे निःशुल्क आवंटित की गई भूमियों का विवरण:-

क्र. सं.	स्थान का नाम	कुल क्षेत्रफल	उद्देश्य	PHED उपखण्ड	PHED खण्ड	अधिशाषी अभियंता	सहायक अभियंता का नाम व मो.नं.	विशेष विवरण
1	गुलाब बाग के पास उदयपुर शहर के खसरा नंबर 415, आबादी भूमि मे रिक्त पड़ी भूमि मे से 35000 वर्गमीटर।	35000 वर्गमीटर	फिल्टर प्लांट हेतु।	तृतीय	प्रथम	श्री प्रहलाद मीणा	श्री मनोज धवल 9414737828	—
2	सेक्टर 6 मे न्यास की LIGH/EWS स्कीम बप्पारावल नगर मे हनुमान मंदिर के पास आरक्षित भूमि मे।	740.25 वर्गमीटर	उच्च जलाशय हेतु।	चतुर्थ	प्रथम	श्री प्रहलाद मीणा	श्री राजाराम पाठक 9460285673	—
3	धोली मगरी, बेड़वास नाकोड़ा नगर प्रथम आ.नं. 1309, 1322 से 1332, 1334 से 1354, 1402, 1403, 1409 से 1412 के निजी खातेदारो के स्वीकृत आवासीय प्लान मे रिजर्व फोर स्कूल की भूमि 11243 मे से 3690 वर्गफीट पर स्कूल बनने के बाद वर्तमान मे स्कूल के लिये पूर्णतया अनुपयोगी शेष बची हुई 7553 वर्गफीट भूमि	7553 वर्गफीट	पानी की टंकी हेतु।	सप्तम्	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा	श्री सुधीर कौशल 9460572463	—

	...आ.नं. 508 से [illegible], 514, 515, 517 ... 532, 536, [illegible] 543 से 546, 576, 584 से 594, 604 से 606, 608, 612, 617, 618 के निजी खातेदारों के स्वीकृत प्लान में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रिजर्व भूमि में 14950 वर्गफीट में से 10400 वर्गफीट	10400 वर्गफीट	पानी की टंकी हेतु।	[illegible]	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा	श्री सुधीर कौशल 9460572463	—
5	राजस्व ग्राम धोली मगरी एवं बेड़वास नाकोड़ापुरम् 630 से 641, 644, 648, 649, 657 से 688, 691 से 702, 704 से 707, 710 से 743, 753, 767, 769 से 771 के निजी खातेदारों के स्वीकृत प्लान में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि 22000 वर्गफीट भूमि में से 8034.36 वर्गफीट भूमि।	8034.36 वर्गफीट	पानी की टंकी हेतु।	सप्तम्	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा	श्री सुधीर कौशल 9460572463	—
6	मस्तान बाबा क्षेत्र में स्थित बिलानाम भूमि में जिला कलक्टर द्वारा न्यास को हस्तांतरित भूमि राजस्व ग्राम सिसारमा के खसरा नंबर 2197 एवं 2198।	0.1600 हैक्टेयर	पानी की टंकी हेतु।	पंचम्	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा	श्री अशोक शर्मा 9829183952	—
7	बेदला - विजय नगर एवं समता नगर क्षेत्र में राजस्व ग्राम बेदला 2374 से 2377 के निजी खातेदारों की भूमि के	6765 वर्गफीट	पानी की टंकी	षष्टम्	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा	श्री बी.एल. पालीवाल 9414473096	—

	आरक्षित भूमि ... वर्गफीट में 5765 वर्गफीट भूमि।	हेडवर्क हेतु।			
8	नान्दी(?) देदला, राजस्व ग्राम बेडलाखुर्द के खसरा नंबर 440 से 549 की निजी खातेदारी की भूमि के अनुमोदित प्लान में सुविधा क्षेत्र-हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 15478 वर्गफीट में से 7200 वर्गफीट भूमि	7200 वर्गफीट	पानी की टंकी एवं हेडवर्क हेतु।	षष्टम्	द्वितीय	श्री लोकेश चौबीसा, श्री बी.एल. पालीवाल 9414473096	—

Sd/-
(समनिवास. मेहता)
सचिव,
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
दिनांक :-

क्रमांक :- F-12( )Sales/Inst/Allot/2015

प्रतिलिपि :-

1- श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2- आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर।
3- अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
4- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
5 Ex En (PHED) City Dn I Udaipur

24/8/15
सचिव,
नगर. विकास प्रन्यास, उदयपुर

...e Engineer
...PUR
2015-16 ...ate 10-9-15
... JSD-I/II/ III
...udaip... ...ormation and
...al Action.
सहायक अभियन्ता एवं
पदेन... सार्वजनिक ...
... अभियांत्रिकी विभाग

18

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम ... पटवार क्षेत्र शहर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ... तहसील गिर्वा जिला-उदयपुर, राजस्थान संवत् 20 65 से 20...

खेवट (खाते) संख्या नवी	पुरानी	भू-धारकों का नाम	ओलिड-नकल काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (मृदा) वर्गीकरण	सिंचाई के स्रोत	... द्वारा: पर काबिज व्यक्ति	लगान	संवत्: अंतरण के प्रकार सहित ... के आदेश की संख्या एवं तारीख	के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	संवत्: अंतरण के प्रकार सहित ... के आदेश की संख्या एवं तारीख	के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	संवत्: अंतरण के प्रकार सहित ... के आदेश की संख्या एवं तारीख	के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
558	573	राज. सरकार	नगर विकास प्रन्यास उदयपुर	415	42.6000	आबादी										

राजकीय प्रयोजनार्थ

सच्ची प्रतिलिपि

पटवारी
पटवार मण्डल-शहर
तह. गिर्वा जिला उदयपुर

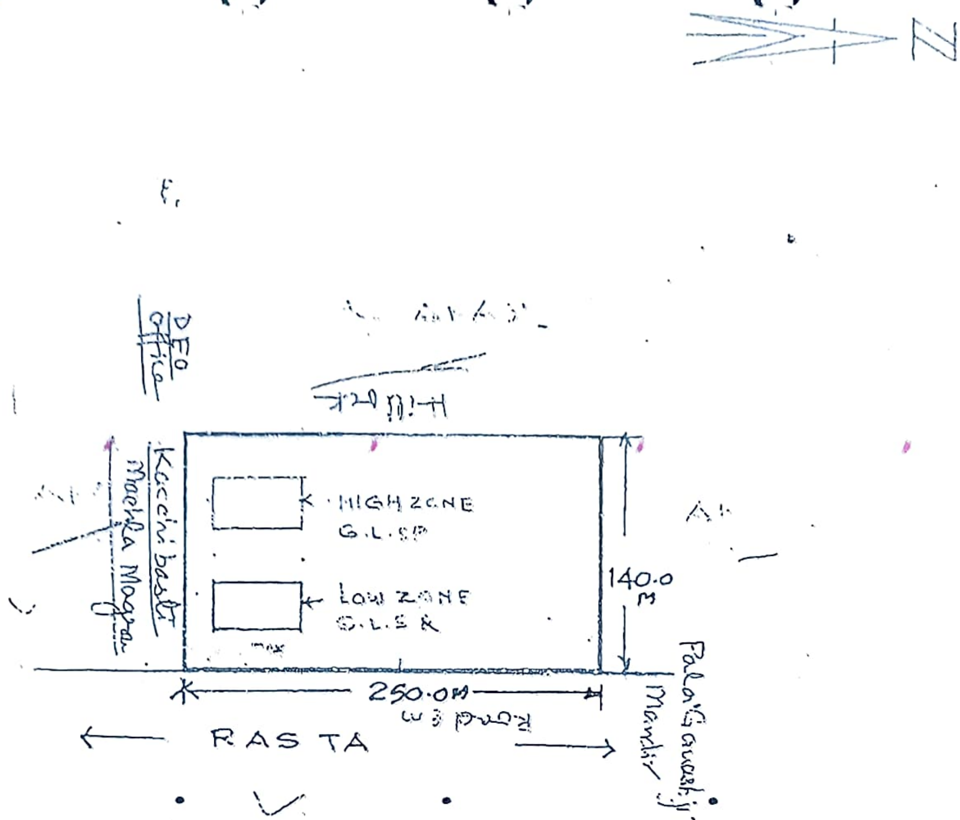

Above shown area 140 m x 250 metre is proposed for aquistion & alltement.

सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
नगर उपखण्ड-तृतीय, उदयपुर

REF.

PLOT SIZE 140.0 X 250.0

PLOT AREA 35000.0 SQMT.

SITE PLAN FOR ~~OVER HEAD TANK~~
IN KH: NO. 415 REV. VILLAGE UDAIPUR
SHAHAR

, UDAIPUR

न. वि. प्र. उ.	J. D. MAN	TRACER	SCALE 1 CM = 40 MTR.
CHECKED BY	Deputy Town Planner U.I.T. Udaipur		Secretary U.I.T. UDAIPUR

URBAN IMPROVEMENT TRUST, UDAIPUR

Annexure- 5

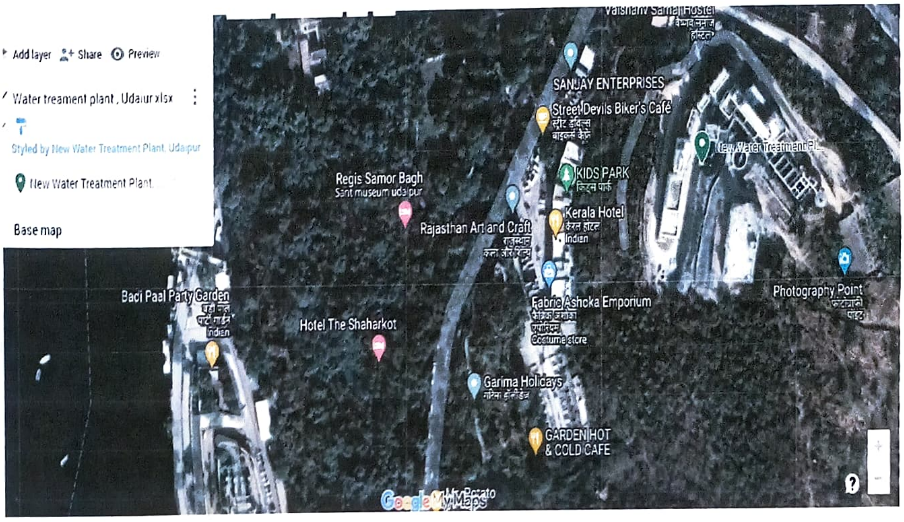
Add layer
Share
Preview
Water treament plant , Udaiur xlsx
Styled by New Water Treatment Plant, Udaipur
New Water Treatment Plant
Base map
Vaishanv Samaj Hostel
SANJAY ENTERPRISES
Street Devils Biker's Café
KIDS PARK
किड्स पार्क
New Water Treatment Pl...
Regis Samor Bagh
Sant museum udaipur
Rajasthan Art and Craft
Kerala Hotel
Indian
Fabric Ashoka Emporium
Costume store
Photography Point
Baci Paal Party Garden
Indian
Hotel The Shaharkot
Garima Holidays
GARDEN HOT
& COLD CAFE
Google My Maps

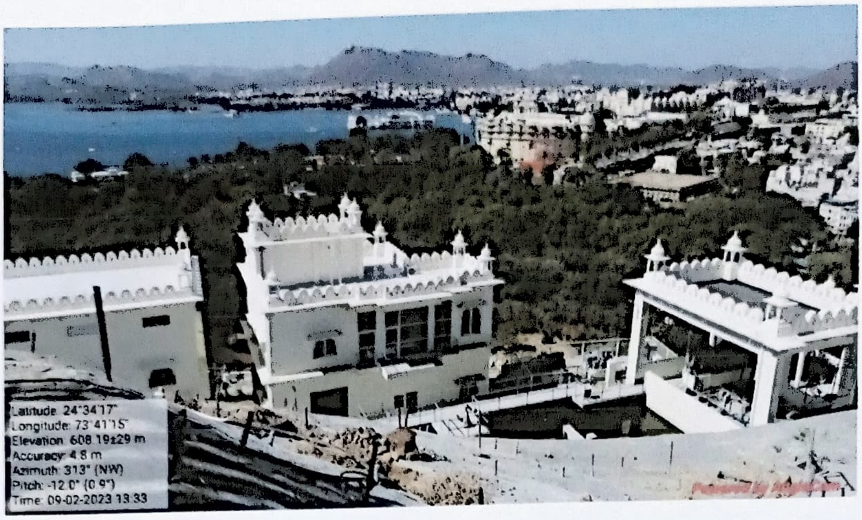
Latitude 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation 608.19±29 m
Accuracy: 4.8 m
Azimuth: 313° (NW)
Pitch: -12.0° (0.9°)
Time: 09-02-2023 13:33

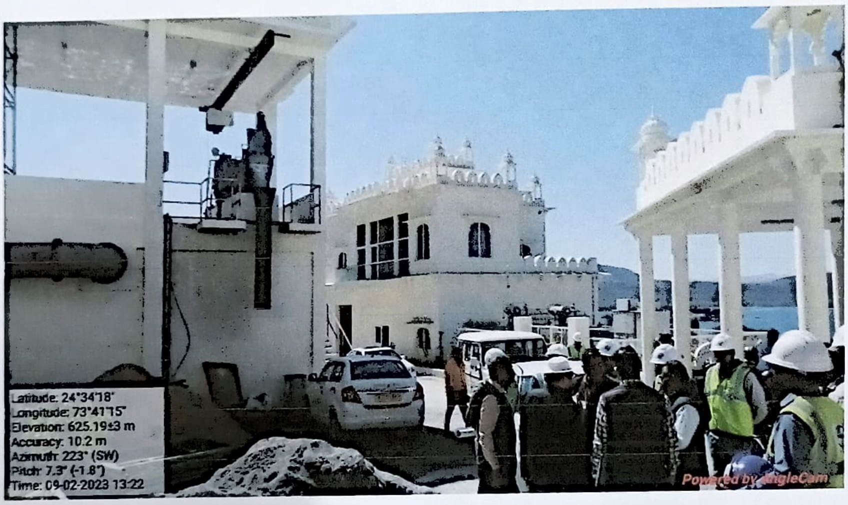
Latitude: 24°34'18"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 625.19±3 m
Accuracy: 10.2 m
Azimuth: 223° (SW)
Pitch: 7.3° (-1.8°)
Time: 09-02-2023 13:22
Powered by AngleCam

Latitude: 24°34'16"
Longitude: 73°41'16"
Elevation: 640.35±6 m
Accuracy: 6.1 m
Azimuth: 36° (NE)
Pitch: -18.2° (-4.8°)
Time: 09-02-2023 13;37

Accuracy: 7.2 m
Azimuth: 64° (NE)
Pitch: 14.5° (0.9°)
Time: 09-02-2023 13:37

Latitude: 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 643.83±8 m
Accuracy: 3.8 m
Azimuth: 22° (N)
Pitch: -13.1° (-4.3°)
Time: 09-02-2023 13:33
Powered by AngleCam

Latitude: 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 585.39±17 m
Accuracy: 7.4 m
Azimuth: 235° (SW)
Pitch: -20.7° (-3.2°)
Time: 09-02-2023 13:29

Latitude: 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 608.09±12 m
Accuracy: 7.5 m
Azimuth: 279° (W)
Pitch: -58.2° (-48.6°)
Time: 09-02-2023 13:28
Powered by AngleCam

Latitude: 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 642.62±9 m
Accuracy: 7.7 m
Azimuth: 97° (E)
Pitch: -12.6° (0.5°)
Time: 09-02-2023 13:27

Latitude 24°34'17"
Longitude 73°41'15"
Accuracy 6.7 m
Time 09-02-2023 13:26
Powered by AngleCam

Latitude: 24°34'18"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 625.19±4 m
Accuracy: 9.5 m
Azimuth: 234° (SW)
Pitch: -20.4° (-5.7°)
Time: 09-02-2023 13:26
Powered by AngleCam

Latitude: 24°34'17"
Longitude: 73°41'15"
Elevation: 625.19±4 m
Accuracy: 12.7 m
Azimuth: 194° (S)
Pitch: -11.0°
Time: 09-02-2023 13:49
Powered by AngleCam

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
F-470, Mewar Industrial Area, Near UCCI Building, Udaipur

RPCB/RO/Udaipur/Legal 76/ 2599 -- 2601 Date: 28/02/23

Email **Most-Urgent**

To,

Additional Surveyor General,
Western Zone, Survey of India,
Great Arc Bhawan-1, Sector-10,
Vidhyadhar Nagar,
JAIPUR - 302 039 (Rajasthan)
Tel 0141-2232341, 2236286
E-mail:zone.west.soi@gov.in, rk.nigam.soi@gov.in

Sub: Regarding Hon'ble NGT, O.A. No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors.

Ref: Hon'ble NGT, order dated 05/01/2023 in the matter O.A. No. 891/2022.

Sir,

With reference to above, it is submitted that Hon'ble NGT, in Original Application No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors. has original application has been registered under at National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition of one Manya Sharma, a 2nd Year student of National Law University, Odisha with regard to cutting of hills in Udaipur and destruction thereof for raising huge construction. Photographs have also been appended to the complaint showing specifically cutting of hills starting on bottom side in entirety to a large extent and raising of permanent construction.

As per Hon'ble NGT order dated 891/2022 ***"Hills in Udaipur are part of Aravalli hills and cutting of said hills in entirety to raise permanent structure is likely to cause ecological and geological disturbance besides the fact that cutting of hills amounts to removal of stones/rocks/boulders/soil and therefore is a mining activity and unless environment impact assessment is carried out by authorities"***

Further in the order Hon'ble NGT constitute a joint Committee comprising State PCB, CPCB and Regional Office, MoEF & CC, Udaipur to visit the site, collect relevant information and submit a factual report which would also include regulation on preventing destruction/cutting of hills and action taken, if any, within two months.

Joint Committee visited the site mentioned in the writ on date 09/02/2023. During visit it was found that this is a drinking water supply scheme under government of India Project Udaipur Smart City. During discussion it was decided to obtain the information from concerning department that whether this Hill is covered under Aravali Notification or not.

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
F-470, Mewar Industrial Area, Near UCCI Building, Udaipur

As per direction of Hon'ble NGT, Joint committee has to submit a factual report with 02 months i.e. 04.03.2023. So, you are requested to kindly provide the details up to 28.02.2023 whether this Hill is covered under Aravali Notification or not and please inform the criteria of any hill to be covered under Aravali Notification or all the hills are covered specifically mentioning whether such projects are allowed in areas under Aravali Notification.

Yours Faithfully

(Sharad Saksena)
Regional Officer
RSPCB, Udaipur

Copy to the following with the request for providing comments in the above Hon'ble NGT case specifically whether the said construction has violated any provisions of Aravali notification and any of the judgments pronounced by Hon'ble Supreme Court/High Court or NGT in this regard and also as the above project amounts to removal of stones/rocks/boulders/soil, it is therefore a Mining activity and requires environment impact assessment or not:-

1. Chief Conservator of Forest, Forest Building, Opposite Mohta Park, Chetak Circle, Udaipur.
2. Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Udaipur

Regional Officer

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड उदयपुर।
खनिजभवन / KhanijBhawan, उदयपुर Udaipur-313001
Phone:0294-2583356 Email ID : me.udaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः खअ / उदय / अवैध खनन / 2023 / 744 दिनांकः 13.3.2023

प्रेषिति :–

श्रीमान् क्षैत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
उदयपुर।

विषय :– Regarding Hon'ble NGT O.A. No. 891/2022 Manya Sharma V/s State of Rajasthan & Ors.

प्रसंगः– आपका पत्र कमांक 2601 दिनांक 28.2.2023 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अंकित हिल्स कटिंग का कार्य कार्यालय से सम्बन्धित ना होकर यू.आई.टी. की परिधि में गिरता है, जो कि यू.आई.टी. उदयपुर के अधीन आता है।

शासन के परिपत्र दिंनाक 09.02.2012 व 05.07.2021 (प्रति संलग्न) से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है जो इस प्रकार है कि वन क्षैत्रो में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी, गैर वन क्षैत्रो में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी, खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदार को देने हेतु क्षैत्र का हल्का पटवार जिम्मेदार होगा एवं **यदि कोई भूमि औद्योगिक / अन्य कार्यो हेतु रीको / यूआईटी / अन्य संस्थाओ को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था (यूआईटी / रिको / अन्य संस्था) की होगी।**

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण कार्यालय से सम्बन्धित नही है।

भवदीय,

(पिंकराव सिंह)
खनि अभियन्ता
उदयपुर

दिंनाक

क्रमांकः खअ / उदय / अवैध खनन / 2023 / 745-746 दिनांकः 13.3.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य वन सरंक्षक, उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर–जोन, उदयपुर।
4. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर–वृत, उदयपुर।

13/3/2023

खनि अभियन्ता
उदयपुर

खान (ग्रुप–2) विभाग

9 FEB 2012

क्रमांक प.14(1)खान / ग्रुप–2 / 2012 जयपुर, दिनांक

<u>परिपत्र</u>

खनन पट्टा / लाइसेंस / परमिट के अन्तर्गत ही किया गया खनिजों का खनन वैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन है। इसमें लिप्त एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है। अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष तिवारी के पत्र क्रमांक एमएस/002/एस/2012 दिनांक 28.01.2012 के क्रम में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।

2. अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।

3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवारी जिम्मेवार होगा। पटवारी / खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

4. यदि कोई भूमि औद्योगिक / अन्य कार्यों हेतु रीको / यू.आई.टी. / अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हें जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर / सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें।

5. राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संयुक्त शासन उप सचिव–I, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
8. डॉ0 मनीष तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, 12, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलक्टर
11. विधि अधिकारी (तकनीकी) / उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर
12. समस्त अति0 निदेशक (खान) / (भू–विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता, द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांकः 05 JUL 2021

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के कम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेवारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर–वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेवारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.)/उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)/(भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

5-7-21